न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वादसंख्या 70 / 2021

1. कैलाशचन्द्र पुत्र पन्नाराम उम्र 58 साल जाति डाकोत निवासी गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

–वादी

बनाम

1. भोमसिंह पुत्र मालीराम उम्र 50 साल
2. कमलेश पुत्र मालीराम उम्र 45 साल
3. राजेन्द्र पुत्र मालीराम उम्र 42 साल
   समस्त जाति डाकोत निवासी निवासी गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
5. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर सीकर

– प्रतिवादीगण

6. घासी पुत्र पन्ना उम्र 75 साल
7. समोत्री देवी उम्र 75 साल पत्नी सीताराम
8. ताराचन्द पुत्र सीताराम उम्र 45 साल
9. हेतराम पुत्र सीताराम उम्र 41 साल
10. सुरेश पुत्र सीताराम उम्र 37 साल
11. सन्तोष पुत्री सीताराम उम्र 35 साल
12. प्रकाश पुत्र सीताराम उम्र 33 साल
13. ममता देवी पुत्री सीताराम उम्र 45 साल
14. राजू देवी पुत्री सीताराम उम्र 39 साल
    समस्त जाति डाकोत निवासी निवासी गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अधि.1955

उपस्थित–

1. श्री अनिरुद्व यादव एडवोकेट वादी
2. श्री सत्यनारायण यादव एडवोकेट प्रतिवादीगण 1 ता 3
3. श्री गंगाराम गूर्जर एडवोकेट प्रतिवादीगण 6 ता 14

निर्णय

दिनांक – 31-08-2021

वाद वादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्डल गोविन्दपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 681 रकबा 2.48 हैक्टे. में 1/2 हिस्से की खातेदारी स्व0 मुरली के नाम व 1/2 हिस्से

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

की खातेदारी पन्ना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नं0 457, 458, 474, 680 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 हैक्टे., में 1/2 हिस्से की खातेदारी स्व0 मुरली के नाम व 1/2 हिस्से की खातेदारी पन्ना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुरली व पन्ना दोनो सगे भाई थे, मुरली का विवाह सरबती के साथ हुआ था जिससे मालीराम नाम का पुत्र हुआ जो प्रतिवादीगण 1 ता 3 का पिता है। मालीराम के जन्म के पश्चात मुरली का स्वर्गवास हो गया तो सरबती ने मुरली के भाई पन्ना की चुडी पहन ली पन्ना व सरबती से घासी, सीताराम, हजारी व कैलाश का जन्म हुआ। इस प्रकार मालीरान को 1/2 हिस्से की विरासत मुरली से प्राप्त हुयी व 1/2 हिस्से की विरासत पन्ना व सरबती से जन्में घासी, सीताराम, हजारी व कैलाश को प्राप्त हुयी। एवं इसी अनुसार मौके पर काश्त कर रहे है। हजारी की मृत्यु उसके पिता पन्ना की मृत्यु से पुर्व हो गयी। पन्ना की मृत्यु होने पर पन्ना की विरासत में मालीराम का नाम गलत रुप से दर्ज कर दिया गया। जबकि मुरली की मृत्यु पश्चात मुरली की विरासत एवं मालीराम की मृत्यु के बाद मालीराम की विरासत उसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 3 व मालीराम की पत्नी स्व0 रेशमी देवी के नाम 1/2 हिससे की खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार पन्ना की विरासत में मालीराम का नाम गलत रुप से दर्ज हुआ है। वादी के कहने पर प्रतिवादीगण खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार होने एवं कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने पर बिनाय ए दावा पैदा होकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। वादी ने वाद पत्र में अनुतोष चाहा कि वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे एवं इस आशय की घोषणा की जावे कि वाद पत्र की मद सं0 2 व 3 में दर्ज भूमियों से मालीराम का नाम हटाया जाकर उसमें 1/3 हिस्सा प्रतिवादीसं0 6 को, 1/3 हिस्सा प्रतिवादीसं0 7 ता 14 को, 1/3 हिस्सा वादी की खातेदारी में दर्ज किया जावें एवं इसी अनुसार घोषणा की जावें। वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 4 व 5 बावजूद सम्यक तामील अनु0 रहने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से इकबालिया जबाब पेश कर वाद पत्र वादी स्वीकार करने का कथन किया। इसी प्रकार तरतीबी प्रतिवादीगण 6 ता 14 ने भी इकबालिया जबाब पेश कर वाद पत्र वादी स्वीकार करने का कथन किया। वादपत्र के समर्थन में वादी ने शपथ पत्र मुख्य परीक्षण बतौर साक्ष्य वादी पेश किया तथा बतौर गवाह घासी पुत्र पन्ना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र, व वकील प्रतिवादीगण ने इकबालिया जबाब का दोहरान कर वाद पत्र डिक्री करने का कथन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रस्तुत वाद पत्र, इकबालिया जवाब, साक्ष्य का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक होना सिद्ध होता है व प्रस्तुत सजरा खानदान से पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होना सिद्ध होता है। वाद डिक्री करने पर प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्डल गोविन्दपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 681 रकबा 2.48 हैक्टे. में मालीराम पि. पन्ना के नाम दर्ज 1/8 हिस्से की खातेदारी तथा खसरा नं0 457, 458, 474, 680 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 हैक्टे. में मालीराम पि. पन्ना के नाम दर्ज 1/8 हिस्से की खातेदारी में खातेदार मालीराम पि. पन्ना का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी को 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी 6 को 1/24 हिस्सा, व तरतीबी प्रतिवादीगण 7 ता 14 को बहिस्सा बराबर– बराबर 1/24 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी, प्रतिवादी 6, प्रतिवादी 7 ता 14 को उक्तानुसार प्राप्त भूमियों में कोई मुजामहात नही करें। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
व इजलास बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

कैलाश चन्द बनाम भोमसिंह वगै0

–वादी– –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 05 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री अनिरूद्व यादव एडवोकेट– वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सत्यनारायण यादव एडवोकट प्रतिवादी 1 ता 3 व श्री गंगाराम गुर्जर एडवोकट प्रतिवादी सं. 6 ता 14 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा स्थित भूमि ख.न. 681 रकबा 2.48 हेक्ट. में मालीराम पि. पन्ना के नाम दर्ज 1/8 हिस्से की खातेदारी तथा खसरा नम्बर 457, 458, 474, 680 कुल किता 4 रकबा 0.64 हेक्ट में मालीराम पि. पन्ना के नाम दर्ज 1/8 हिस्से की खातेदारी में खातेदार मालीराम पि. पन्ना के नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी को 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 को 1/24 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 ता 14 को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/24 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी, प्रतिवादी सं. 6, प्रतिवादी 7 ता 14 को उक्तानुसार प्राप्त भूमियों में कोई मुजाहमत नही करें। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।**

निज................×.......................मुबलिग...................×........................बाबत.................×......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×...................................फीसदी सलाना अर्जी की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....................×...............................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।